# छत्तीसगढ़ शासन
## राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 2–37/2014/सात–2 नया रायपुर, दिनांक /08/2014

प्रति,

1. श्री रमेश कुमार शर्मा,
   संचालक, भू–अभिलेख,
   छत्तीसगढ़, रायपुर ।
2. समस्त संभागीय आयुक्त,
   छत्तीसगढ़ ।
3. समस्त कलेक्टर,
   छत्तीसगढ़ ।

**विषय :– रिक्त पदों को सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संविदा नियुक्ति से भरने बाबत् ।**

––00––

प्रदेश के विभिन्न जिलों में राजस्व विभाग के अधीन राजस्व निरीक्षक, पटवारी तथा लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के काफी पद रिक्त है, जिसके कारण शासकीय कार्य प्रभावित हो रहा है, तथा आम जनता को सुविधा उपलब्ध कराने में कठिनाई महसूस की जा रही है । यह भी देखा जा रहा है, कि जिला कलेक्टरों के द्वारा उक्त संवर्ग के पदों पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संविदा नियुक्ति का प्रस्ताव अनुमोदन के लिए राज्य शासन को भेजा जाता है, जिससे संविदा नियुक्ति में विलंब होता है ।

2/ छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम– 2012 के नियम 2(क) में संविदा नियुक्ति के लिए सक्षम प्राधिकारी उसी प्राधिकारी को निर्धारित किया गया है, जो विभागीय भरती नियम में नियुक्तकर्ता प्राधिकारी हैं । नियम 4(2) एवं (3) के अनुसार संविदा नियुक्ति के पद उन पदों को माना गया है, जो नियमित भरती या पदोन्नति के माध्यम से पद पूर्ति करने में एक वर्ष या उससे अधिक समय लगने की संभावना हो । नियम 6 के अनुसार संविदा नियुक्ति के लिए चयन समीति वही होगी, जो विभागीय भरती नियम में विहित है । विभागीय भरती नियमों के तहत राजस्व निरीक्षक पद के

लिये नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी संचालक, भू–अभिलेख तथा पटवारी एवं लिपिक वर्गीय पदों के लिये नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी जिला कलेक्टर है । संभागीय आयुक्त कार्यालय के लिपिक वर्गीय पदों के लिये नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी संभागीय आयुक्त हैं । अतः उक्त पदों को नियमित भरती के माध्यम से पद पूर्ति होने तक की अवधि के लिए एक समय में एक वर्ष की अवधि के लिए अस्थाई तौर पर संविदा नियुक्ति देने के लिए संबंधित नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी स्वयं सक्षम है ।

3/ अतः यह निर्देशित किया जाता है, कि जिन पदों की नियमित भरती में एक वर्ष से अधिक समय लगने की संभावना हो, उन पदों को नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी की हैसियत से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संविदा नियुक्ति से भरने की कार्यवाही करें । नियम 4(2) में पदोन्नति के पदों पर संविदा नियुक्ति के लिए सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति की अनिवार्यता है, किन्तु अतः कार्य की आवश्यकता को देखते हुए राजस्व विभाग के अधीन राजस्व निरीक्षक तथा लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के ऐसे पद जिन्हें पदोन्नति से भरा जाना है, को भी संविदा नियुक्ति से भरने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग ने केवल राजस्व विभाग के उपरोक्त पदों के लिए नियुक्तिकर्ता प्राधिकारियों को अधिकृत किया है ।

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 की छायाप्रति नीचे संलग्न है । कृपया आप अपने अधीन रिक्त पदों को संविदा नियुक्ति से भरने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें ।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

(के.आर. पिस्दा)
28/8/2014
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया मंत्रालय–रायपुर

क्रमांक एफ–9–1/2012/1–3 रायपुर, दिनांक 17 जनवरी, 2013

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषयः– छ0ग0 सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम – 2012 का नियमन।

––:00:––

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम–2004 को विलोपित करते हुये, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम–2012 का नियमन राजपत्र में दिनांक **31 दिसम्बर, 2012** एवं संशोधन अधिसूचना दिनांक 03 जनवरी, 2013 को प्रकाशित हुआ है। नियम की हिन्दी एवं अंग्रेजी की प्रति संलग्न है। कृपया संलग्न नियम के आधार पर आरक्षण नियमों का पालन करते हुए संविदा नियुक्ति संबंधी कार्यवाही करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(एम.आर. ठाकुर) 17/1/13
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक एफ–9–1/2012/1–3 रायपुर, दिनांक 17 जनवरी, 2013

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर।
2. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर।
5. निज सचिव/निज सहायक, मुख्यमंत्री जी/मान. मंत्री जी/मान. राज्यमंत्री जी/मान. संसदीय सचिव, छत्तीसगढ़।

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## ( असाधारण )
## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 330 ] रायपुर, सोमवार, दिनांक 31 दिसम्बर 2012—पौष 10, शक 1934

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 9-1/2012/1-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से परामर्श पश्चात्, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, संविदा नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

### नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**— (1) ये नियम "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012" कहलाएंगे।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**— इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) किसी सेवा या पद के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है शासन या ऐसा प्राधिकारी, जिसे उस सेवा या पद पर नियुक्ति करने की शक्ति, उस सेवा या पद से संबंधित भर्ती नियम में प्रदत्त हो अथवा शासन द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा सौंपी गई हो या इसके पश्चात् सौंपी जाये;

(ख) "आयोग" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग;

(ग) "विभागीय भर्ती नियम" से अभिप्रेत है संबंधित सेवा या पद पर नियुक्ति हेतु प्रचलित सेवा भर्ती नियम;

(घ) "सरकार" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ सरकार;

(ङ) "उच्च पद" से अभिप्रेत है सेवानिवृत्ति के समय धारित पद से "एक उच्च पद";

(च) "सेवानिवृत्त शासकीय सेवक" से अभिप्रेत है शासकीय सेवा से अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त अथवा स्वैच्छिक या शासकीय सेवा से त्याग पत्र देकर सेवा मुक्त हुए शासकीय सेवक;

(छ) "राज्य" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य।

3. **विस्तार तथा लागू होना.**— ये नियम प्रत्येक ऐसे पद/पदों के संबंध में एवं उन पर इन नियमों के अधीन नियुक्त व्यक्ति या नियुक्ति पाने वाले व्यक्तियों पर लागू होंगे जिन पद/पदों को राज्य सरकार द्वारा नियम 4 के अंतर्गत संविदा नियुक्ति का पद घोषित किया जाये।

4. **संविदा नियुक्ति के पद.**—निम्नलिखित पद संविदा नियुक्ति के पद कहलायेंगे :—

(1) ऐसे पद जो विभागीय सेटअप में संविदा पद के रूप में स्वीकृत हों।

(2) विभागीय सेटअप में नियमित स्थापना में स्वीकृत ऐसे पद जिनकी पूर्ति में अपरिहार्य कारणों से एक वर्ष या उससे अधिक अवधि लगना संभावित हो।

(3) सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से पदोन्नति से भरे जाने वाले ऐसे पद जिनके लिये न्यूनतम अर्हता प्राप्त शासकीय सेवक उपलब्ध न होने के कारण अथवा अन्य अपरिहार्य कारणों से पदोन्नति से पद की पूर्ति एक वर्ष या उससे अधिक अवधि तक संभव न हो।

(4) विभागीय भर्ती नियमों में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे पद जिनके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या नियम के अंतर्गत न्यायिक सेवा के क्षेत्र में विधिक अनुभव होना अपेक्षित हो को छोड़कर, ऐसे पद जिनके लिए विशेषज्ञता, अनुभव एवं विशिष्ट योग्यता आवश्यक हो को राज्य सरकार अपवादात्मक विशिष्ट प्रकरणों में, लोक प्रशासन में दक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, संविदा नियुक्ति का पद घोषित कर सकेगी।

(5) मुख्यमंत्री/मंत्रीगण की निजी स्थापना के ऐसे स्वीकृत पद जिन पर नियुक्ति मुख्यमंत्री/मंत्रीगण की पदावधि (को-टर्मिनस) तक के लिये की जानी हो।

5. **नियुक्ति का तरीका.**— संविदा नियुक्ति निम्नलिखित प्रकार से की जा सकेगी :—

(एक) नियम 4(1) में विहित पदों पर लोक विज्ञापन के माध्यम से;

(दो) नियम 4(2) एवं (3) में विहित पदों पर सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की संविदा नियुक्ति द्वारा;

(तीन) नियम 4(4) में विहित पदों पर, अपवादात्मक विशिष्ट प्रकरणों में गैर शासकीय व्यक्ति विशेष अथवा सेवानिवृत्त शासकीय सेवक की विशेषज्ञता, अनुभव एवं विशिष्ट योग्यता तथा पद हेतु उसकी उपयुक्तता के आधार पर, वित्त विभाग की सहमति के उपरांत, सीधे संविदा नियुक्ति द्वारा;

(चार) नियम 4(5) में विहित पदों पर मुख्यमंत्री/मंत्रीगण द्वारा अनुशंसित व्यक्ति की, पद के लिये निर्धारित अर्हता/पात्रता तथा उपयुक्तता के आधार पर।

6. **चयन समिति.**— (1) नियम 4(1) या (2) में विहित पदों पर संविदा नियुक्ति के लिये चयन समिति वही होगी जो विभागीय भर्ती नियम में विहित हो :

परन्तु छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु चयन समिति में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष/सदस्य के स्थान पर, शासन, किसी अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव या सचिव को नामांकित कर सकेगा।

(2) चयन समिति के गठन के लिये छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंध भी लागू होंगे।

7. **आयु सीमा.**– (1) संविदा नियुक्ति के लिये आयु सीमा वही होगी जो संबंधित पद या सेवा हेतु विभागीय भर्ती नियम में विहित हो:

परन्तु आयु सीमा में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी छूट संबंधी आदेश/निर्देश संविदा नियुक्ति के लिये भी लागू होंगे।

(2) सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के मामले में संविदा नियुक्ति अधिकतम 10 वर्ष की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, के लिये दी जा सकेगी।

8. **नियुक्ति के लिए अर्हताएँ तथा पात्रता मापदण्ड.**– (1) सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के मामलों को छोड़कर, संविदा नियुक्ति के अन्य मामलों में नियुक्ति के लिए अर्हताएँ तथा पात्रता मापदण्ड वे ही होंगे, जैसा कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 5 एवं 6 में विहित है।

(2) (क) **सीधी भर्ती के पद पर संविदा नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएँ** एवं अन्य अर्हताएँ वही होंगी जो उक्त पद हेतु विभागीय भर्ती नियमों में विहित है;

(ख) सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की संविदा नियुक्ति के मामले में, सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व धारित पद के समकक्ष पद, ऐसे पद जिनके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या नियम के अंतर्गत न्यायिक सेवा के क्षेत्र में विधिक अनुभव होना अपेक्षित हो को छोड़कर, पर नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अर्हता का बंधन नहीं होगा;

(ग) सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की संविदा नियुक्ति के मामले में विशेष प्रकरणों में उनके विशिष्ट अनुभव, उत्कृष्ट सेवा अभिलेख एवं कार्य के मूल्यांकन के आधार पर उच्च पद, ऐसे पद जिनके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या नियम के अंतर्गत न्यायिक सेवा के क्षेत्र में विधिक अनुभव होना अपेक्षित हो को छोड़कर, पर भी संविदा नियुक्ति दी जा सकेगी।

9. **सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की संविदा नियुक्ति के लिए अनर्हताएँ.**– (एक) सेवा अभिलेखों में निष्ठा प्रमाणित नहीं होने पर;

(दो) सेवा अभिलेख में विगत तीन वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन/कार्य मूल्यांकन का वर्गीकरण बहुत अच्छा अथवा/या उससे उच्च स्तर का न होने पर;

(तीन) विभागीय जांच/अभियोजन लंबित होने पर;

(चार) सेवा में रहते हुए अंतिम वर्ष में दंडित होने पर;

(पाँच) पेंशन रोकने के दंड से दंडित होने पर;

(छः) सेवा से पदच्युत किये जाने/हटाये जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्त किये जाने पर;

(सात) दोष सिद्ध होने पर; एवं
(आठ) शासकीय सेवा के लिये अन्य सामान्य अनर्हतायें।

10. **आरक्षण.**– नियम 4(1) व (2) में विहित संविदा नियुक्ति के पदों पर, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) एवं उसके अधीन समय–समय पर जारी नियम/निर्देश लागू होंगे, साथ ही महिला एवं निःशक्तजन आदि के आरक्षण के लिए भी समय–समय पर जारी नियम/निर्देश लागू होंगे।

11. **नियुक्ति की अवधि.**– (1) नियम 4(1) में उल्लिखित संविदा नियुक्ति के पदों पर, संविदा नियुक्ति प्रथम बार तीन वर्ष के लिये होगी, किन्तु राज्य सरकार आवश्यकता के आधार पर संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर संविदा नियुक्ति की अवधि को एक बार में एक वर्ष के लिये बढ़ाते हुए संविदा नियुक्ति के नवीनीकरण का निर्णय ले सकेगी।
(2) नियम 4(2) एवं (3) में उल्लिखित पदों पर, संविदा नियुक्ति सामान्यतः एक वर्ष के लिये होगी, तथापि विभाग आवश्यकता के आधार पर एवं संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर संविदा के नवीनीकरण का निर्णय ले सकेगा।
(3) नियम 4(4) एवं (5) में उल्लिखित पदों पर, सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की संविदा नियुक्ति के मामले में, संविदा नियुक्ति उनके विशिष्ट अनुभव, उत्कृष्ट सेवा अभिलेख एवं कार्य के मूल्यांकन के आधार पर विशेष प्रकरण के तौर पर दिये जाने की स्थिति में, संविदा नियुक्ति की अवधि 5 वर्ष तक हो सकेगी, जिसे आगे विभागीय आवश्यकता एवं संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग के अभिमत के पश्चात, राज्य सरकार द्वारा अधिकतम 5 वर्ष तक और बढ़ाया जा सकेगा।
(4) संविदा नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जाएगी तथा सेवा समाप्त करने के लिए पृथक आदेश जारी करना आवश्यक नही होगा।
(5) संविदा नियुक्ति की अवधि में दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में एक माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

12. **संविदा वेतन.**– (1) इस नियम के उप–नियम (2) के अंतर्गत उल्लिखित मामलों को छोड़कर, संविदा सेवा में सिर्फ मासिक एकमुश्त राशि वेतन के रूप में देय होगी, इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, महंगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता इत्यादि नहीं दिया जायेगा तथा संविदा नियुक्ति के अधीन वार्षिक वेतनवृद्धि की पात्रता नहीं होगी।
(2) मासिक एकमुश्त राशि वेतन का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा:–

(क) नियम 4(1) व (2) में विहित पदों पर संविदा नियुक्ति की स्थिति में मासिक एकमुश्त राशि वेतन वह होगा जो वित्त विभाग समय–समय पर सामान्य या विशेष आदेश द्वारा नियत करे;

(ख) सेवानिवृत्ति के समय, वेतन संरचना (यथा संशोधित वेतनमान) में देय मूल वेतन एवं देय महंगाई भत्ते में से देय पेंशन (सरांशीकरण के पूर्व की) एवं उस पर देय महंगाई राहत घटाने के पश्चात भुगतान योग्य एकमुश्त राशि, संविदा वेतन होगा एवं इसके अतिरिक्त वह सेवानिवृत्ति के समय देय मूल वेतन पर गृह भाड़ा भत्ता (यदि शासकीय आवास गृह धारण नहीं करता है) एवं नगर क्षतिपूर्ति भत्ते का हकदार होगा तथा पेंशन एवं पेंशन पर महंगाई राहत का भी हकदार होगा;

(ग) संविदा नियुक्ति के विशेष प्रकरणों में, अधिवार्षिकी से सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के मामले में अथवा/या विशेषज्ञता, अनुभव व विशिष्ट योग्यता के आधार पर संविदा नियुक्ति के मामले में, किसी पद पर/उच्च पद पर संविदा नियुक्ति दिए जाने की स्थिति में संबंधित पद का तत्समय प्रवृत्त वेतनमान संविदा की अवधि तक साथ ही अन्य देय आनुषंगिक लाभ सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग की सहमति से दिये जा सकेंगे।

13. **अवकाश की पात्रता.**– संविदा पर नियुक्त कर्मचारी प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 18 दिनों के आकस्मिक अवकाश तथा 3 दिनों के ऐच्छिक अवकाश का हकदार होगा, तथा वर्ष के मध्य में नियुक्त होने अथवा सेवामुक्त होने पर आकस्मिक अवकाश की पात्रता की गणना पूर्ण महीनों के लिए आनुपातिक आधार पर की जाएगी।

**स्पष्टीकरण**– गणना में अपूर्ण दिवस को आगामी पूर्ण दिवस से पूर्णांकित किया जाएगा तथा विश्रामावकाश विभागों में कैलेण्डर वर्ष का तात्पर्य 12 माह की वास्तविक सेवा से लगाया जाएगा।

14. **यात्रा भत्ता एवं अन्य सुविधायें.**– (1) विभागीय सेटअप में संविदा पद के रूप में स्वीकृत पद पर नियुक्त व्यक्ति को, उस पद के लिये निर्धारित यात्रा भत्ते एवं अन्य सुविधाओं की पात्रता होगी।

(2) सेवानिवृत्त व्यक्तियों की संविदा नियुक्ति के मामले में, वे संबंधित पद/समकक्ष पद हेतु शासकीय सेवकों को देय यात्रा भत्ते एवं अन्य सुविधाओं हेतु पात्र होंगे।

(3) यदि संविदा नियुक्ति के किसी पद के लिये यात्रा भत्ते एवं अन्य सुविधायें नियमों में विहित नही हैं तो ऐसे पद पर नियुक्त व्यक्ति को उस पद के समकक्ष पद पर नियुक्त शासकीय सेवक के समान यात्रा भत्ते एवं अन्य सुविधाओं की पात्रता होगी।

15. **अन्य शर्तें.**– (1) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 से शासित होंगे।

(2) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को संविदा सेवा की अवधिं के लिये किसी भी प्रकार की पेंशन, उपदान या मृत्युलाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।

(3) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जाएगा ताकि यदि आगामी वर्ष हेतु उसे पुनः संविदा नियुक्ति दी जानी हो तो इसके आधार पर उसके कार्य का मूल्यांकन हो सके।

(4) सेवानिवृत्त शासकीय सेवक की संविदा नियुक्ति के दौरान उसे/उन्हें अन्य कार्यालय में समकक्ष पद पर स्थानांतरित किया जा सकेगा और उसे/उन्हें संविदा नियुक्ति के पद के कार्य के साथ–साथ अन्य पद का अतिरिक्त दायित्व भी सौंपा जा सकेगा, जिसे स्वीकार करना उसके/ उनके लिये बाध्यकारी होगा।

(5) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को अपने परिवार की सामाजिक सुरक्षा के लिये संविदा वेतन की कम से कम 10 प्रतिशत राशि जीवन बीमा पेंशन योजना अथवा पी.पी.एफ. में जमा करनी होगी तथा इस बात की सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को देनी होगी कि कर्मचारी द्वारा किस योजना का वरण किया गया है:

परन्तु यह प्रावधान सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों पर लागू नहीं होगा।

(6) संविदा पर नियुक्त सेवानिवृत्त व्यक्ति सेवानिवृत्ति के समय यदि शासकीय आवास में रह रहा हो तो उसे शासकीय आवास की पात्रता बनी रहेगी तथा उससे छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम के नियम 45–क के अनुसार लाइसेंस शुल्क की वसूली की जायेगी तथा उसे शासकीय सेवकों के समान चिकित्सा प्रतिपूर्ति की भी पात्रता होगी।

16. **निर्वचन.**– यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो तो उसे शासन के सामान्य प्रशासन विभाग को निर्दिष्ट किया जाएगा जिस पर सामान्य प्रशासन विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

17. **नियमों में शिथिलीकरण का अधिकार.**– इन नियमों के किसी भी प्रावधान में शिथिलीकरण का अधिकार मंत्रिपरिषद को होगा।

18. **निरसन तथा व्यावृति.**– इन नियमों के तत्स्थानी समस्त अन्य नियम और निर्देश जो कि इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं:

परन्तु नये संविदा नियुक्ति नियम प्रभावशील होने के दिनांक के पहले की गई सभी संविदा नियुक्तियां इन नियमों के अंतर्गत की गई तथा वैध मानी जाएंगी तथा संविदा की शेष अवधि में उन पर पूर्व के नियुक्ति आदेश की सेवा शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, सचिव.

रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2012

क्रमांक एफ 9-1/2012/1-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 9-1/2012/1-3, दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल महोदय के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, सचिव.

Raipur, the 31st December 2012

## NOTIFICATION

No. F 9-1/2012/1-3.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, after consultation with the Chhattisgarh Public Service Commission, hereby, makes the following rules relating to contractual appointment, namely :—

## RULES

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called "the Chhattisgarh Civil Sewa (Samvida Niyukti) Niyam, 2012".

(2) These rules shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**— In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) In relation to any service or post "Appointing Authority" means the Government or the authority which has been conferred with the powers to make appointment to the service or post, under the recruitment rules applicable to the service or post, or by general or special order of the Government or which may be conferred hereafter;

(b) "Commission" means the Chhattisgarh Public Service Commission;

(c) "Departmental Recruitment Rules" means service recruitment rules in force for appointment to the concerned service or post;

(d) "Government" means the Government of Chhattisgarh;

(e) "Higher post" means "one post higher" than the post held at the time of retirement.

(f) "Retired Government Servant" means Government servant superannuated or voluntarily retired or Government servant relieved from Government service on tendering resignation;

(g) "State" means the State of Chhattisgarh.

3. **Scope and Application.**— These rules shall apply in relation to every such post/posts and to such persons appointed or who may be appointed under these rules on the post/posts declared as contract appointment post by the State Government under rule 4.